लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 732
07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

सिंथेटिक यार्न/मिश्रित फैब्रिक

732. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युतकरघा और सिंथेटिक यार्न/मिश्रित फैब्रिक, जो हथकरघा होने का दावा करते हैं, की जांच नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे झूठे दावों को रोकने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव है;

(ग) क्या हथकरघा को प्रोत्साहन देने के सरकारी उपायों की उपभोक्ताओं तक पहुंच और प्रभावकारिता को मापने के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): भारत सरकार ने हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 लागू किया, जो 11 कपड़ा वस्तुओं को आरक्षित करता है जिसमें हथकरघा पर विशेष उत्पादन के लिए कुछ मिश्रित किस्में भी शामिल हैं और पावरलूम पर सके उत्पादन पर रोक लगाती है।

सभी प्रकार के पावरलूम कपड़ा उत्पादकों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है ताकि यह जांचा जा सके कि पावरलूम पर किसी आरक्षित कपड़ा वस्तु का उत्पादन तो नही किया जा रहा है। हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं और अदालत के माध्यम से दंडित किया जा रहा है।

(ग) और (घ): हथकरघा मार्क लेबल की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए अगस्त 2020 में एक मोबाइल ऐप 'एचएलएम ग्राहक ऐप' लॉन्च किया गया है। इसके अलावा प्रमाणीकरण के लिए हैंडलूम वस्तुओं पर हैंडलूम मार्क, इंडिया हैंडलूम ब्रांड, सिल्क मार्क और जीआई का टैग लगाया जाता है।

*****